

जलते दीप
दिनांक 19/8/23 पृष्ठ संख्या 6

जयपुर विकास प्राधिकरण

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

क्रमांक: जविप्रा/जनसम्पर्क/2023/डी-बी-156 दिनांक: 17.08.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी संपत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <https://jda.rajasthan.gov.in> एवं जैन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 7 (सात) दिवस मध्य दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जैन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	भूखण्ड सं.	ग.वि.स.स.लि./योजना का नाम	आवेदक
1.	14	22 व 23	इन्दिरा विकास ग.वि.स.स.लि. की योजना भवण विहार, फ्री होल्ड पट्टा हेतु	शांति देवी सैनी
2.	पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)	1, 1ए, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5, 5ए, 6, 6ए, 7, 7ए, 8, 8ए, 8बी, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 11ए, 11बी, 12, 12ए, 13, 13ए, 14, 15, 16	ग्राम बोध्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं. 409/1, 410 मीनावास ग.वि.स.स. की योजना कीर्ति सागर जे-ब्लॉक की सदस्यता सूची	---
3.	7	ख.नं. 76, 77, 78 व 80 का धाम	मिजी खातेदारी की योजना ग्राम बोड़ खातीपुरा तह. व जिला जयपुर एकल आवासीय फ्री होल्ड पट्टा हेतु	श्री प्रकाश अग्रवाल बहैसियत गु. आम सुजाता पुरी सिंह
4.	7	ख.नं. 76, 77, 78 व 80 का धाम	मिजी खातेदारी की योजना ग्राम बोड़ खातीपुरा तह. व जिला जयपुर एकल आवासीय फ्री होल्ड पट्टा हेतु	श्री प्रकाश अग्रवाल बहैसियत गु. आम दीया पुरी, माया बी पुरी व राहिल राय पुरी

क्रमांक- अधिप्रा / उप. / जैन-11 / 2023 / डी-2336 सार्वजनिक नोटिस दिनांक: 17.08.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधौराजपुरा के खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.3794 हेक्ट. के खातेदार श्री हनुमान पुत्र पंचुराम जाति जाट निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील माधौराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सर्म्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सर्म्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सर्म्पणित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।
सचिव

क्रमांक- () अधिप्रा/जैन-11/सैक्टर रोड/2023/डी-2338 सार्वजनिक नोटिस दिनांक: 17.08.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 48 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम केखावाला, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 936 / 352 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.19 हेक्ट. भूमि के बदले खातेदार श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी श्री रामबाबू अग्रवाल, निवासी- एच- 55, झकरीश्वर मार्ग, बनीपारक, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सर्म्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित, नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सर्म्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सर्म्पणित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद-विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 7 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।
सचिव

क्रमांक- अधिप्रा / उप. / जैन-11 / 2023 / डी- 2334 सार्वजनिक नोटिस दिनांक: 17.08.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधौराजपुरा के खसरा नम्बर 1173 / 1, 1173/2, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1174/2, 1174/3, 1046/2, 1170/1, 1170/ 2 कुल कित्ता 12 रकबा 23717.33 वर्गमीटर के खातेदार श्री रामनारायण, रामेश्वर पुत्रान छोटे, जगदीश, वैद्याराम, रामवज्रतार, रामजीलाल, शंकरलाल, सीताराम पुत्रान रामचन्द्र एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री रामचन्द्र, फ-ईयालाल, बाबूलाल पुत्रान रामलाल एवं ज्याना देवी पत्नी रामलाल, सोहन पुत्री रामलाल, लक्ष्मण, शंकरलाल, हीरालाल, पुत्रान भूरा, श्रीमती गुलाब देवी, गीता देवी, फूल देवी, मती देवी पुत्रियां भूरा, कैलाश चन्द, शैलान सिंह, रवोजीराम, हजारी लाल पुत्रान छगनलाल एवं श्रीमती गोपाली देवी, नाम देवी पुत्रियां छगनलाल द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सर्म्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सर्म्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सर्म्पणित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।
सचिव

क्रमांक- अधिप्रा / उप. / जैन-11 / 2023 / डी-2339 सार्वजनिक नोटिस दिनांक: 17.08.2023
जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधौराजपुरा के खसरा नम्बर 1415, 1419, 1420/2, 1420/1, 1422, 1423, 1424 कुल कित्ता 07 रकबा 9886.84 वर्गमीटर के खातेदार श्री पवन पुत्र रामकरण, रामकरण पुत्र बिरदा, रामफूल देवी पत्नी रामकरण, विनोद पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी- ग्राम मानवावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत सर्म्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, सर्म्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।
सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सर्म्पणित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।
सचिव

निर्णय
अधिप्रा कार्यालय से पत्रांक डी-1135 दिनांक 19.09.2022 की होल्ड पट्टा प्रमासन शहरों के संग अधिवान-2021 के दौरान सीजधाकर श्रीमती रूप्य जैन पत्नी श्री इंसरज जैन के नाम से जैन कार्यालय द्वारा गिब्या तथ्यों / साक्ष्य प्रस्तुत कर जारी कर्वाये जाने एवं भूखण्ड के दोहरे आवंटन व आपत्तियों के कारण अधिप्रा अधिनियम - 1982 की धारा-54 (घ) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सांसाधार एन्क्लेव के भूखण्ड संख्या 182 बैजपल 288.88 व.ग. श्रीमती रूप्य जैन पत्नी श्री इंसरज जैन निवासी 60 / 162, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर को जारी आवासीय पट्टा मिलेख पत्रांक 1135 दिनांक 19.09.2022 आज दिनांक 10.08.23 को बतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा श्रीमती रूप्य जैन की जरिये नोटिस सूचना दी जावे कि अधिप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा मिलेख मूल लीजडीड का अन्य उपयोग न कर इस कार्यालय में जमा करा दे। उभय पक्षकार उक्त भूखण्ड का स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किये जाने के पश्चात चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।
उपायुक्त

क्र.सं.	जोन	खसरा संख्या	ग्राम/ग.वि.स.स. का नाम	आवेदक/खातेदार का नाम
1.	11	729/697	ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर, जयपुर की भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु	उपल इन्द्रा प्रोजेक्ट एल एल पी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि आशीष कुमार पुत्र श्री मजरजा सिंह
2.	11	734/727	ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर, जयपुर की भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु	नोबिंद प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद कुमार गौयल
3.	12	925/764, 931/780, 768/534, 781/534, 908/757, 910/767, 912/773, 906/534	ग्राम बिन्द्याका तहसील जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	मैसर्स सुराश बोर्डर्स जरिये पार्टनर करण चौधरी एवं गोपाल चौधरी
4.	11	2856/1, 2861/1, 2872	ग्राम बगरकुत्ता सांगानेर (जयपुर) की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु	मैसर्स मारिका फुड्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री चन्द्रमोहन गुप्ता
5.	12	916/364	ग्राम बिन्द्याका तहसील जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती नीतासिंह देव पतिन श्री जेमप्रकाश गौणा

क्र.सं/अधिप्रा/डी/23/7751 **सचिव**

समाचार जगत
दिनांक 19/08/2023 पृष्ठ संख्या 2

जयपुर विकास प्राधिकरण

इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

क्रमांक: जविप्रा/जनसम्पर्क/2023/डी-बी-156 दिनांक: 17.08.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी समिति के पक्ष / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट <https://jda.rajasthan.gov.in> एवं जैन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 7 (सात) दिवस मध्य दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जैन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	जोन	भूखण्ड सं.	ग.नि.स.स.लि./योजना का नाम	आवेदक
1.	14	22 व 23	इन्दिरा विकसित ग.नि.स.स.लि. की योजना श्रवण विहार, फ्री होल्ड पट्टा हेतु	शंति देवी सैनी
2.	पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)	1, 1ए, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5, 5ए, 6, 6ए, 7, 7ए, 8, 8ए, 8बी, 9, 9ए, 10, 10ए, 11, 11ए, 11बी, 12, 12ए, 13, 13ए, 14, 15, 16	ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं. 409/1, 410 मीनावाला ग.नि.स.स. की योजना कीर्ति सागर जे-ब्लॉक की सदस्यता सूची	
3.	7	ख.नं. 76, 77, 78 व 80 का भाग	निजी खातेदारी की योजना ग्राम बीड़ खातीपुरा तह. व जिला जयपुर एकल आवासीय फ्री होल्ड पट्टा हेतु	श्री प्रकाश अग्रवाल बहैसियत मु. आम सुजाता पुरी सिंह
4.	7	ख.नं. 76, 77, 78 व 80 का भाग	निजी खातेदारी की योजना ग्राम बीड़ खातीपुरा तह. व जिला जयपुर एकल आवासीय फ्री होल्ड पट्टा हेतु	श्री प्रकाश अग्रवाल बहैसियत मु. आम दीया पुरी, मुयावी पुरी व राहिल राय पुरी

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2336 दिनांक: 17.08.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नंबर 1418 रकबा 0.3794 हेक्टर के खातेदार श्री हनुमान पुत्र पांचूराम जाति जाट निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

क्रमांक: (1) जविप्रा/जोन-11/सेक्टर रोड/2023/डी- 2338 दिनांक: 17.08.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 48 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम केशवावाला, तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 936 / 352 कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हेक्टर भूमि के बदले खातेदार श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी श्री रामबाबू अग्रवाल, निवासी- एच- 55, झकोरेश्वर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित, नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद-विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 7 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी- 2334 दिनांक: 17.08.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नंबर 1173 / 1, 1173/2, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1174/2, 1174/3, 1046/2, 1170/1, 1170/2 कुल किता 12 रकबा 23717.33 वर्गमीटर के खातेदार रामनारायण, रामेश्वर पुत्रान छोट्ट, जगदीश, मेवाराम, रामवज्रतार, रामजीलाल, शंकरलाल, सीताराम पुत्र रामचन्द्र एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री रामचन्द्र, कन्हैयालाल, बाबूलाल पुत्रान रामलाल एवं ज्याना देवी पत्नी रामलाल, सोहन पुत्री रामलाल, लक्ष्मण, श्रवणलाल, हीरालाल, पुत्रान भूरा, श्रीमती गुलाब देवी, गीता देवी फूला देवी, मन्नी देवी पुत्रिया भूरा, कैलाश चन्द, शैतान सिंह, शंभोजीराम, हजारी लाल पुत्रान छगनलाल एवं श्रीमती गोपाली देवी, नाना देवी पुत्रिया छगनलाल द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2337 दिनांक: 17.08.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नंबर 1415, 1419, 1420/2, 1420/1, 1422, 1423, 1424 कुल किता 07 रकबा 9886.84 वर्गमीटर के खातेदार श्री पवन पुत्र रामकरण, रामकरण पुत्र बिरदा, रामफूल देवी पत्नी रामकरण, विनोद पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी- ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जैन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्वयं / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जैन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1135 दिनांक: 19.09.2022 फ्री होल्ड पट्टा प्रशासन शहरो के संग अधियान-2021 के दौरान लीजधर श्रीमती रुपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन के नाम से जैन कार्यालय द्वारा मिथ्या तथ्यों / साक्ष्य प्रस्तुत कर जारी कृतवाचे जाने एवं भूखण्ड के दोहरे आवेदन व आपत्तियों के कारण जविप्रा अधिनियम - 1982 की धारा-54 (घ) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सालासाह एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 182 क्षेत्रफल 288.88 व.ग. श्रीमती रुपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन निवासी 60 / 162, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर को जारी आवासीय पट्टा विलेख पत्रांक 1135 दिनांक 19.09.2022 आज दिनांक 10.08.23 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा श्रीमती रुपा जैन को जरिये नोटिस सूचना दी जावे कि जविप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा विलेख मूल लीजडीड का अन्यत्र उपयोग न कर इस कार्यालय में जमा करा दे। उभय पक्षकर उक्त भूखण्ड का स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किये जाने के पश्चात् चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपायुक्त

लोक सूचना

क्र.सं.	जोन	खसरा संख्या	ग्राम/ग.नि.स.स. का नाम	आवेदक/खातेदार का नाम
1.	11	729/697	ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर, जयपुर की भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु	उत्पल इनरुम प्रोजेक्ट एल एल पी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि आशीष कुमार पुत्र गजराज सिंह
2.	11	734/727	ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर, जयपुर की भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु	गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद कुमार गौयल
3.	12	925/764, 931/780, 768/534, 781/534, 908/757, 910/767, 912/773, 906/534	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	मैसर्स सुवाश बौदर्स जरिये पार्टनर करण चौधरी एवं गोपाल चौधरी
4.	11	2856/1, 2861/1, 2872	ग्राम बगरूकला सांगानेर (जयपुर) की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु	मैसर्स मारिका फुड्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री चन्द्रमोहन गुप्ता
5.	12	916/364	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर की भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीमती गीतासिंह देव पति श्री ओम प्रकाश मीणा

क्रमा.सं.ख.द.ली/23/7751

सचिव